(2012) 2 एस.सी.आर. 708

माहेश्वरी प्रसाद और अन्य।

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 3393/2012)

अप्रैल 4, 2012

[अल्तमस कबीर सुरिंदर सिंह निज्ञर, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून:

सी भर्ती – पुलिस ड्राइवर – पात्रता – विज्ञापनदाता दिनांक 6. 2. 2004 झारखंड राज्य में पुलिस ड्राइवरों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करना – विज्ञापन में पात्रता के मानदंड इंगित करते हैं कि उम्मीदवार को भारी मोटर वाहनों या हल्के मोटर वाहन के साथ भारी मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखना था – ऐसा नहीं है कि विज्ञापन ने संकेत दिया कि केवल हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाला उम्मीदवार पात्र होगा, इसे भारी मोटर वाहनों को चलाने के अधिकार के साथ जोड़ा जाना था – इस प्रकार, जिनके पास हल्के मोटर वाहन और भारी मोटर वाहन दोनों को चलाने के लिए संयुक्त लाइसेंस है, उनकी विशेष रूप से भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वालों के साथ–साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

झारखंड राज्य में पुलिस चालकों की 350 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले दिनांक 6–2–2004 के विज्ञापन के अनुसरण में दिनांक 23–08–2005 को पुन प्रकाशित पुलिस चालकों की मेरिट सूची को चुनौती देने वाली अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं से तत्काल अपीलें उत्पन्न हुईं। उनका मामला यह था कि सफल उम्मीदवारों की परिणाम–सह–मेरिट सूची 29.5.2005 को जी में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन्हें सफल घोषित किया गया था, लेकिन उक्त परिणाम को संशोधित किया गया था और मेरिट सूची को फिर से 23–8–2005 को उनके नामों को छोड़कर प्रकाशित किया गया। यह तर्क दिया गया था कि भारी मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने की कोई शर्त नहीं थी और उक्त शर्त को केवल अन्य उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए पेश किया गया। अपीलों को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा

यहां तक कि जिस विज्ञापन पर अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया है, उसमें भी उम्मीदवार के पास भारी मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होने पर जोर दिया गया है। विज्ञापन में पात्रता के मानदंड इंगित करते हैं कि उम्मीदवार को भारी मोटर वाहनों ये भारी मोटर वाहन के साथ हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा मानदंड में जरूरी नहीं कि हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति का चयन किया जाना था, क्योंकि विज्ञापन में यह हल्के मोटर वाहनों के साथ–साथ भारी मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति था, जो नियुक्ति के लिए पात्र था। ऐसा नहीं है कि विज्ञापन में संकेत दिया गया है कि केवल हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाला उम्मीदवार पात्र होगा, इसे भारी मोटर वाहन चलाने के अधिकार के साथ जोड़ा जाना था। इस प्रकार,

हल्के मोटर वाहनों और भारी मोटर वाहनों दोनों को चलाने के लिए संयुक्त लाइसेंस रखने वालों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, साथ ही विशेष रूप से भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वालों के साथ। इसके अलावा, यह भर्ती अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे उम्मीदवारों पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्ति पर विचार कर ऐसा नहीं लगता है कि प्रकाशित विज्ञापन से कोई बदलाव किया गया है। इसलिए, अपीलों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 10-12] [713-एफ-एच; 714-ए-डी] ग्राम

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3393/2012

झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 14-09-2006 के निर्णय और आदेश से रांची में एलपीए संख्या 229/2006

2012 के सीए नंबर 339 ~ 3395 के साथ।

शेखर प्रीत झा, विक्रांत भारद्वाज, सुमित कुमार, कुमारी अपीलकर्ताओं के लिए सुप्रिया, दानिश जुबिन खान।

उत्तरदाताओं के लिए रतन कुमार चौधरी, अंभोज कुमार सिन्हा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय सी अल्तमस कबीर, जे. द्वारा दिया गया था।

अनुमति स्वीकृत।

2. ये अपीलें झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2006 के एलपीए संख्या 229 में पारित 14 सितंबर, 2006 के निर्णय और आदेश के खिलाफ योजित की गयी हैं, जिसमें इन्हें खारिज कर दिया गया था। लेटर्स पेटेंट अपील 2006 के डब्ल्यूपी (एस) संख्या 831 में 13 अप्रैल, 2006 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारितनिर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी, और 2005 के डब्ल्यूपी (एस) एन 0.5459 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक पूर्व आदेश के संदर्भ में निपटाया गया था। उक्त रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा योजित की गई 2005 की एलपीए संख्या 729 को 22 फरवरी, 2006 को झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को बरकरार रखा गया था। डब्ल्यूपी (सी) संख्या 5459/2005 उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय की सराहना करने के लिए, 2005 के एलपीए संख्या 729 के संबंध में कुछ तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक होगा, जो इससे उत्पन्न हुए हैं। 2005 के डब्ल्यूपी (एस) नंबर 5459 जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।

3. 6 फरवरी, 2004 को "हिन्दुस्तान", रांची में प्रकाशित एक विज्ञापन संख्या 2/2004 द्वारा, जिन उम्मीदवारों ने सातवी कक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें झारखंड पुलिस के विभिन्न जिला बलों में पुलिस चालकों के पद पर 350 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पात्र होने के लिए, एक उम्मीदवार को VIIth मानक उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी और "भारी" और हल्के वाहनों को ड्राइविंग के लिए लाइसें भी विज्ञापन की तारीख से कम से कम दो साल पहले से होना आवश्यक था। वही इसमें अपीलकर्ताओं ने अन्य उम्मीदवारों के साथ आवश्यक फॉर्म भरे और परीक्षा में उपस्थित हुए। विज्ञापन के अनुसरण में आयोजित की गई परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की परिणाम–सह–मेरिट सूची 29 मई, 2005 को "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता भी सफल घोषित थे। तथापि, उक्त परिणाम को संशोधित किया गया और 23 अगस्त, 2005 को मेरिट सूची पुन प्रकाशित की गई, जिसमें से अपीलकर्ताओं को बाहर कर दिया गया है।

4. रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि विज्ञापन में, भारी मोटर वाहन ने के लिए लाइसेंस रखने की कोई शर्त नहीं थी और भारी मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने से संबंधित शर्त केवल अन्य उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए पेश की गई थी। प्रतिवादी राज्य की ओर से उक्त निवेदन का विरोध किया गया था और यह उल्लेख किया गया था कि चयन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केवल उन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिनके पास विज्ञापन के प्रकाशन से पहले भारी वाहन चलाने का लाइसेंस था।
चूंकि अपीलकर्ताओं के पास भारी मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे, इसलिए उन्हें ई सफल उम्मीदवारों की संशोधित सूची से बाहर रखा गया था। प्रतिवादी राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि विभिन्न जेएपी बटालियनों में पुलिस ड्राइवर्स की भर्ती के उद्देश्य से केवल ऐसे उम्मीदवार जिनके पास भारी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस थे, विज्ञापन के प्रकाशन से पहले उन्हें जारी किए गए थे, को पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित अन्य सभी चयन बोर्डों द्वारा सफल घोषित किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 2005 के एलपीए संख्या 729 में दिए गए फैसले में, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित शर्त जो उम्मीदवारों के पास होनी आवश्यक थी, वह अंग्रेजी अनुवाद के साथ अंग्रेजी लिपि में अपने हिंदी रूप में निर्धारित की गई थी। इन अपीलों में निर्णय के लिए भी यही महत्वपूर्ण है, वही यहां नीचे दिया गया है: –
"मोटरगारी चलाने की अनुज्ञापति: जिनके पास [भारी ताथा छोटी/भारी गाड़ी चलाने हेतू} मोटर चालान की ऐसी अनुज्ञापति प्रप्त.हो जो रिक्ति के विग्यापन की तिथि से कम से कम दो वर्ष पूर्व निर्गत की गई हो।

अंग्रेजी अनुवाद:

मोटर ड्राइविंग लाइसेंस: एक व्यक्ति जिसके पास [भारी और हल्के / भारी ड्राइविंग लाइसेंस} ऐसा मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है जिसे रिक्ति के प्रकाशन की तारीख से कम से कम दो साल पहले जारी किया जाना चाहिए।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से श्री शेखर प्रीत झा, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि 2005 के एलपीए संख्या 729 में पहले के फैसले में विज्ञापन के प्रावधानों की सही ढंग से सराहना

नहीं की गई थी और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, जिसने 2006 के वर्तमान एलपीए नंबर 229 का फैसला किया था, ने उस पर भरोसा करने में गलती की।

6. श्री झा ने निवेदन किया कि विचाराधीन विज्ञापन में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि विभिन्न जेएपी बटालियनों में पुलिस ड्राइवरों की भर्ती के लिए पात्रता मानदंड में एक उम्मीदवार के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य कर दिया है जो या तो लाइसेंस धारक को भारी मोटर वाहन या हल्के मोटर वाहन और भारी मोटर वाहन चलाने में सक्षम बनाता है। श्री झा ने कहा कि विज्ञापन को जैसा है वैसा पढ़कर, यह नहीं कहा जा सकता है कि पात्रता मानदंड केवल भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस रखने तक सीमित था। वकील ने आग्रह किया कि केवल उन लोगों की उम्मीदवारी पर विचार करके, जिनके पास भारी मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस है, प्रतिवादियों ने विज्ञापन के विपरीत काम किया है और इसलिए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की आवश्यकता है। श्री झा ने आगे कहा कि 2005 के एलपीए नंबर 729 में डिवीजन बेंच का निर्णय कुछ अनुमानों पर आधारित था कि सशस्त्र बलों के वाहनों को चलाने के उद्देश्य से, एक उम्मीदवार के पास भारी मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो श्री झा के अनुसार, विज्ञापन के मूल सिद्धांत के खिलाफ था।

7. दूसरे प्रश्न के रूप में, कि क्या चयनित होने के बाद, अपीलकर्ता नियुक्ति के हकदार थे, पूरी तरह से एक और मुद्दा है क्योंकि बहुत ही बुनियादी स्तर पर अपीलकर्ताओं को विचार से बाहर रखने की मांग की जा रही थी क्योंकि उनके पास विशेष रूप से भारी मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे।

8. दूसरी ओर, राज्य और अन्य प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए, विद्वान वकील ने निवेदन किया कि 2005 के एलपीए नंबर 729 में पारित निर्णय और आदेश पूरी तरह से उचित था, क्योंकि यह भर्ती अधिकारी थे जो उस उद्देश्य के बारे में जागरूक थे जिसके लिए नियुक्तियां की जा रही थीं। यह निवेदन किया गया कि 2005 के एलपीए संख्या 729 में, एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि केवल वे ही उम्मीदवार सफल लोग होंगे, जिनके पास भारी मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस थे, जिन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ड्राइवरों के लिए भर्ती का उद्देश्य भारी मोटर वाहन चलाना था, जो हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस धारक ऐसा करने का हकदार नहीं था।

9. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एलपीए संख्या 729/2005 में दिए गए फैसले के संदर्भ में मामले को निपटाने में कोई त्रुटि नहीं की।

10. संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि यहां जिस विज्ञापन पर अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया है, वह भी एक उम्मीदवार पर भारी मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने पर जोर देता है। विज्ञापन में पात्रता के मानदंड इंगित करते हैं कि उम्मीदवार को भारी मोटर वाहनों के साथ भारी मोटर वाहन या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। हमारे विचार में, दूसरा मानदंड नहीं था। अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि हल्के मोटर वाहनों को

चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति का चयन किया जाना था, क्योंकि विज्ञापन में यह हल्के मोटर वाहनों के साथ–साथ भारी मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति योग्य था, ऐसा नहीं है कि विज्ञापन में संकेत दिया गया था कि केवल हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाला उम्मीदवार पात्र होगा, इसे भारी मोटर वाहन चलाने के अधिकार के साथ जोड़ा जाना था। दूसरे शब्दों में, हल्के मोटर वाहन और भारी मोटर वाहन दोनों को चलाने के लिए संयुक्त लाइसेंस रखने वालों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, विशेष रूप से भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वालों के साथ।

11. इसके अलावा, हम उत्तरदाताओं के विद्वान वकील से सहमत हैं कि यह भर्ती अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त करने पर विचार करें। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रकाशित विज्ञापन से कोई बदलाव किया गया है।

12. इसलिए, हमें इन अपीलें झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

13. हालांकि, कोई वाद व्यय नहीं। अपील निरस्त।

विजेन्द्र त्रिपाठी